राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 4(13) आरडी / नरेगा / ह.रा. / 2009–10 / पार्ट–II   जयपुर, दिनांक:– 8 JUL 2009

जिला कलेक्टर एंव जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय:– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत हरित राजस्थान हेतु पौधों की खरीद के सबधं में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि हरित राजस्थान के क्रियान्वयन हेतु पौधों की खरीद के सबधं में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है:–

1. पौधों की खरीद हेतु दर निर्धारण जिला कलेक्टर, जिला वन अधिकारी एवं मुंख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद की कमेटी द्वारा किया जायेगा।
2. खरीदे गये पौधे की लम्बाई कम से कम 3 फीट आवश्यक रुप से हो।
3. पौधारोपण के लिए ऐसे पौधे खरीदे जाये जो कि क्षेत्रीय मिट्टी में भलीभांति पनप सके एवं पुष्ठ (Sturdy) हो तथा जिनका आसानी से रखरखाव किया जा सके। रखरखाव के लिए ऐजेन्सी की पूर्व में ही पहचान कर ली जावे एवं रखरखाव का प्रावधान भी जारी स्वीकृति में ही रखा जावे।
4. कुल आवश्यकता का आकलन किया जाकर, वन विभाग एवं उद्यानिकी विभाग के पास उपलब्धता को ध्यान में रखकर शेष आवश्यकता की ही खरीद की जावे।

उक्त निर्देशों की पालना यथावत रुप से की जावें।

भवदीय,

(जी.एस.सन्धु)
प्रमुख शासन सचिव

D:\VIPIN CHOUDHARY\2009-10\Mukesh Vijay\Hindi\Harit Rajasthan- purchase of Plants doc